कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर

पत्रांक- मु.चि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20/273-21 दिनांक - 18 / 04 / 2020

1- समस्त चिकित्सा अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सुलतानपुर

2- समस्त कार्यालय अध्यक्ष
सुलतानपुर ।

विषय - सार्वजानिक स्थानों पर पान मसाला / तम्बाकू / अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019 - 20 / 8375 लखनऊ / दिनांक 13-03-2020 एवं पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019 - 20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18-03-2020 द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करोना वाइरस **(COVID-19)** को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्वव्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए हेल्पलाइन नम्बर-18001805145 भी जारी किये गये है ।

चूँकि प्रदेश में लगभग 29.4 % लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते है जो कि वर्तमान मे तम्बाकू एवं पान- मसाला का सेवन कर इधर- उधर थूकने से करोना वाइरस **(COVID-19)** के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य विमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है ।

अतः कोरोना वाइरस **(COVID-19)** को ध्यान मे रखते हुए आपको निर्देशीय किया जाता है कि आप सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान, पान-मसाला खा-कर इधर - उधर तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करे साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर COTPA-2003 के नियमो / उपनियमो अन्तरगत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर

पत्रांक- मु.चि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2- राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3- जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर ।
4- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर ।
6- यु.पी.वी.एच.ए. लखनऊ ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर